न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 189/2017

बउनवान

मुकेश पुत्र रामेश्वर जाति–मीणा निवासी–रारोती तहसील–बारां जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्द बघेरवाल, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 23.11.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 03.11.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–रारोती, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 37/802, 43, 58 कुल रकबा 0.67 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, फसल जप्ती, 335/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी एवं जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलांट स्वंय के खाते की भूमि को भी मुनाफा काश्त पर जुपाता है तथा स्वंय कृषि नहीं करता है। हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर बिना मालूमात किये मिथ्या रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है। जबकि अपीलांट का आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.11.2014 निरस्त फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:13 IST
Reason: SelfAttested

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये समन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट खेती नहीं करता है। उसने अपनी खाते की भूमि को भी मुनाफे से जुपाई है। हल्का पटवारी ने बिना मौके व कब्जे की जॉच किये मिथ्या रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश की है जिसे आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सजायाब किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में मिसल नम्बर 701/13 निर्णय दिनांक 16.12.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है, जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 32/802, 43, 58 कुल रकबा 0.67 है0 ग्राम रारोती से पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 701/13 निर्णय दिनांक 16.12.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 785/14 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2014 यथावत रखा जाता है।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 [illegible] इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:13 IST
Reason: SelfAttested

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां